


०२। पत्रावली पेशा हुई रुक-रुक कर तीन बार आवान दिलाई गई न तो अभिभाषक उपस्थित हैं और न ही पक्षकारण ऐसी स्थिति में न्यायालय इस पत्रावली को आगे नजरदार रखना उचित नहीं समझती है अतः पत्रावली अदम तजरी अदम जखी में खारिज की जाती है पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर से काम की जावे। निर्णय आज दिनांक 6-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
मंगरोल जिला बारी (राजग)

